डीजी-परिपत्र संख्या-39 /2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, टावर-2,
गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांकः अक्टूबर 10 ,2024

विषयः- क्रिमिनल अपील संख्या-4866/2024 मलखान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 के अनुपालन में मा0 न्यायालयों में योजित रिट याचिकाओं में जमानत नोटिसो में प्रस्तरवार आख्यायें तथा 19 बिन्दु सम्बन्धी प्रारूप में यथाअपेक्षित सुस्पष्ट सूचनायें व तथ्यपरक प्रस्तरवार आख्या/अभिकथन ससमय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्याः एक-1-2019/4442/2022 दिनांक 02.10.2024 एवं पत्र संख्याःएक-1-2019/4492/2024 दिनांक 04.10.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल अपील संख्याः4866/2024 मलखान बनाम उ0प्र0 राज्य के अतिरिक्त कई अन्य मामलों में नियत तिथि तथा जमानत नोटिसों में समय से प्रस्तरवार आख्यायें प्राप्त न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व कड़ी आपत्ति व्यक्त की गयी है तथा 19 बिन्दु सम्बन्धी प्रारूप में यथा अपेक्षित सुस्पष्ट सूचनायें व तथ्यपरक प्रस्तरवार आख्या/अभिकथन ससमय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त विवेचकों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. संदर्भित प्रकरण में अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल अपील संख्याः4866/2024 मलखान बनाम उ0प्र0 राज्य से सम्बन्धित वाद एवं एक अन्य याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विभिन्न जनपदों के विवेचकों द्वारा थाने से प्रेषित की जाने वाली 19 बिन्दुओं पर आख्या एवं सूचनायें सारगर्भित एवं पूर्ण रूप से न भरे जाने एवं सम्बन्धित जनपदीय पुलिस अधिकारी तथा नोडल अधिकारियों द्वारा समयबद्ध आख्या उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में उन्हे दिनांक 30.09.2024 को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया गया था।

3. दिनांक 30.09.2024 को सुनवाई के उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों तथा क्रिमिनल अपील में 19 बिन्दु के निर्धारित प्रारूप पर सूचना समय से उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत आदेश पारित किया गया है-

> 3. It has already been observed that in majority of the matter, learned AGAs are seeking time for seeking instructions, since 19 point format for instructions is not being followed in Criminal Appeals.
>
> 4. Learned Government Advocate submitted that he has already proceeded in the same matter by way of writing several letters to Additional Chief Secretary (Home), Director General of Police, Uttar Pradesh, Lucknow and Director General (Prosecution) by way of intimating that in spite of certain 19 points format which has already been served and available with the Department, no instructions have been received in the same format, specifically in Criminal Appeals.
>
> 5. Sri Dipesh Juneja, Additional Director General of Police (Prosecution) assured on behalf of Department that there are certain lapses which has already been noticed and

specific explanation has already been called from concerned officers and in future in all the matters format of 19 points shall be adhered and the instructions shall be sent to the office of learned Government Advocate within no time specifically before taking up the matter by the Hon'ble Courts, and the same shall be applicable in Criminal Appeals also.

6. Assurance as made by Sri Dipesh Juneja, Additional Director General of Police (Prosecution) is taken on record and at the same time for expedite action in shape of assurance which has been extended by concerned officer who is personally present before the Court, he shall hold a meeting with Director General of Police, Uttar Pradesh and specific instructions shall be issued under the signatures of the Director General of Police, Uttar Pradesh for reporting and receiving directions to and by ADG (Prosecution) in connection of the matters related to criminal proceedings pending before the concerned courts, so that effective assistance can be rendered by learned AGAs and public prosecutors who are attending all the Courts available at Allahabad High Court including its Lucknow Bench and District Courts also.

4. उक्त विषय की समीक्षा के साथ-साथ मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 30 वर्ष से अधिक पुराने मामले को निस्तारित कराये जाने हेतु सम्बन्धित वादों में अभियोजन साक्षियों को अविलम्ब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अतएव अपने जनपदों में नोडल अधिकारियों को निर्देशित करें कि 30 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को चिन्हित करते हुये अभियोजन साक्षीगणों की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष तथा दूरस्थ साक्षीगणों की उपस्थिति वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

5. तीनों नये कानूनों के प्रदेश में प्रभावी होने के दृष्टिगत 19 बिन्दुओं का संशोधित प्रारुप (छायाप्रति संलग्न) इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि जनपद स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन कर जनपद में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/विवेचकों को इस नवीन प्रारूप से प्रशिक्षित करायें तथा मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रो की विधिक समीक्षा के दौरान पूर्ण इण्डेक्सिंग के साथ चार्जशीट एवं इन्जरी रिपोर्ट का पूर्ण विवरण अंकित कराते हुये निर्धारित 19 बिन्दुओं पर तथ्यपरक तथा सम्मत साक्ष्य पूर्णकर प्रस्तरवार आख्या समय से माननीय उच्च न्यायालय को अग्रसारित करें तथा यह भी परीक्षण कर ले कि कोई बिन्दु रिक्त न छोड़ा जाये। प्रारूप में निर्धारित सभी बिन्दुओं के सम्मुख पूर्ण सूचना अंकित की जाये। यदि कोई बिन्दु प्रकरण से सम्बन्धित नही है तो तद्नुसार निर्धारित स्थान पर 'नही' अंकित किया जाये, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का पक्ष रखने में असहज स्थिति का सामना न करना पड़े।

6. मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिट याचिकाओं/जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों तथा अपीलों आदि पर समयान्तर्गत Instructions उपलब्ध कराये जाने हेतु इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तरवार टिप्पणी उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। जिसका गम्भीरता से अनुपालन नही किया जा रहा है।

डीजी परिपत्र सं0-05/2024 दि0 19.01.2024
पत्र सं0:डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-106/23 दि0 20.7.23
डीजी परिपत्र स0-03/2023 दि0 30.01.2023
डीजी परिपत्र स0-09/2022 दि0 30.04.2022
डीजी परिपत्र स0-39/2021 दि0 06.10.2021
डीजी परिपत्र सं0-42/2021 दि0 02.11.2021
डीजी परिपत्र सं0-43/2021 दि0 01.12.2021
डीजी परिपत्र स0-31/2021 दि0 28.08.2021
डीजी परिपत्र सं0-24/2021 दि0 26.07.2021
डीजी परिपत्र सं0-10/2021 दि0 03.03.2021
डीजी परिपत्र स0-37/2020 दि0 22.10.2020
डीजी परिपत्र स0-51/2019 दि0 05.12.2019

7. आप सभी को अभियोजन निदेशालय द्वारा बार-बार पत्राचार किये जाने के उपरान्त भी जनपदीय पुलिस अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सुधार नही लाया जा रहा है जिससे इस प्रकार की स्थितियॉ उत्पन्न हो रही है कि उच्चाधिकारियों को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ रहा है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित सूचनाओं/आख्याओं का समय से उपलब्ध न कराये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। मा0 न्यायालय में अपेक्षित सूचनाओं/आख्याओं को ससमय प्रस्तुत न करने तथा प्रकरणों में लापरवाही/उदासीनता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

8. आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत स्वयं रूचि लेकर जनपद में कार्यशाला का आयोजन कर नियुक्त सभी राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/विवेचकों को उपरोक्तांकित निर्देशों से भली-भाँति अवगत कराकर, अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

भवदीय

10.x.22

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   <u>उत्तर प्रदेश।</u>

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज,
   <u>उत्तर प्रदेश।</u>

<u>प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1.पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/ईओडब्लू/यूपीपीसीएल/साइबर क्राइम, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/अभियोजन/रेलवेज/एसीओ/एटीएस, उ0प्र0 लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4.पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।